

मूल घाव में शिक्की

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

उमेरी सिंह पुत्र शागीर्य

बनाम

1. शागीर्य पुत्र हेमराज जाहि

जाहि जाट नि० उन्नपुरा

जाट नि० उन्नपुरा जाहि

दावा बाबत :-

88RTA-4

मुकदमा नम्बर :-

245/21

निर्णय दिनांक :-

15.12.21

वादी की ओर से वकील विनोद पूनिया की व प्रतिवादी सं० - की ओर से वकील उमेश मोहन की उपस्थिति में इरु वाद में आज तारीख 15.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही मोंजा 3 KRP के खाल म० 107/93
मु० न० 18, 19, 28, 29 की कुल 3.542 हे० में प्रतिवादी म० 01 के नाम
1/3 हिस्सा दर्ज है व चड 6 KRP के खाल म० 62/52 के मु० न० 72 की कुल
6.325 हे० जिसमें प्रति म० 1 के नाम 1/2 हिस्सा व शही पट्टा
चड उन्नपुरा बरानी के खाल म० 336/301 के खाल म० 170/1
की 1.542 हे० में शागीर्य के नाम 1/2 हिस्सा खाले दारी
दर्ज है में प्रतिवादी म० 1 का नाम उलमजन डिपा जाट
वारी उमेरी सिंह व प्रति म० 2 पुनमचन्द व प्रति म० 3
सहवीर जे वदित्ता बराल के अनुसार खाले दार उन्नपुरा धोबि
जिसे जाते है। चूँकि प्रति म० 1 व पता 6 ने अपना हक हिस्सा
वारी तथा प्रति म० 2 का 3 के हिस्से में ही का शून्य का हिस्सा है
हमारे ल्याग जिसे हिस्से पर निपमानुसार पत्नीपत्र शुल्क व
हृषि भूमि व 5 रदन हेरो रदन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार
राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज का रिजॉर्ड उन्नपुरा डिपा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़